INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION
AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985)

संदर्भ संख्याः 3/Power/0149 28 अप्रैल 2020

आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य,
माननीय उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

विषय : कोविड–19 महामारी और लॉकडाउन के कारण उद्योगों में बन्दी के कारण बिजली के बिलों में डिमान्ड/फिक्सड चार्ज की छूट के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्णय को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरशन लि0 द्वारा लागू न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आई0आई0ए0) द्वारा कोविड –19 महामारी के कारण सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन में बन्द पड़े उद्योगों को कुछ राहत प्रदान करने के लिये माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को 27 मार्च 2020 को एक निवेदन किया था कि इन बन्द पड़े उद्योगों से लॉकडाउन अवधि के लिये बिजली के बिलों में डिमान्ड/ फिक्सड चार्ज न लिया जाये। **आई0आई0ए0 के इस निवेदन पर 1 अप्रैल 2020 को माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने निर्णय किया कि ''ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित करे कि लॉकडाउन की अवधि में इण्डस्ट्रीज से बिजली का फिक्सड चार्ज न लिया जाये''।**

खेद का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री के उपरोक्त निर्णय के विपरीत 2 अप्रैल 2020 को प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोशन लिमिटेड ने अपने आदेश संख्याः 216/–– 2020 द्वारा विद्युत वितरण निगमों के सभी प्रबन्ध निदेशकों को निर्देश दिये कि :

''वाणिज्यिक एवं औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं से माह अप्रैल के बिलों में 2/3 फिक्सड चार्ज/ डिमाण्ड चार्ज लिया जायेगा, माह मई के बिलों में 1/2 फिक्सड चार्ज/ डिमाण्ड चार्ज लिया जायेगा, माह अप्रैल और मई के बिलों में स्थगित /डिमाण्ड चार्जेज को क्रमशः जून और जुलाई के बिजली बिलों में चार्ज किया जाये।''

प्रबंध निदेशक उपरोक्त के सन्दर्भ में प्रबंध निदेशक उ०प्र० पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पत्र सं 216/----2020 दिनांक 02.04.2020 की प्रतिलिपी सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।

प्रबन्ध निदेशक यू0पी0पी0सी0एल0 के उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि उन्होनें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने लॉकडाउन की अवधि में बन्द पड़ी इण्डस्ट्रीज से बिजली का फिक्सड चार्ज न लिये जाने के निर्णय को नही माना है।

अतः आपसे निवेदन है कि लॉकडाउन अवधि में बन्द पड़े उद्योगों से बिजली के बिलों में फिक्सड चार्ज न लिये जाने के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्णय को लागू करवाने की कृपा करें।

धन्यवाद

पंकज कुमार
राष्ट्रीय अध्यक्ष

Head Office : IIA Bhawan, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
Tel.: +91-522-2720090, 3248178, Fax: +91-522-2720097, email : iia@iiaonline.in, website : www.iiaonline.in